प्रेस नोट **20 / 06 / 2025**

एक शातिर गिरफ्तार कब्जे से लगभग 254 लीटर विदेशी मदिरा बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अवैध शराब कारोबार/कारोबारियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायलखन्सी पुलिस व आबकारी आजमगढ़ टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 20.06.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भुजौटी रामबृक्ष का मकान से254.16 लीटर कुल 400 पीस अवैध विदेशी शराब के साथ एक अभियुक्त पवन कुमार अस्थाना पुत्र त्रिवेणी लाल अस्थाना निवासी बागबहार थाना पवई जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। तथा उक्त के सम्बन्ध में थाना सरायलखन्सी पर मु0अ0सं0 284/2025 धारा 60(1)आबकारी अधिनियम व 318(2) बी0एन0एस 0 पंजीकृत कर चालान न्यायालय किय गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिफ्तार –

आज दिनांक 20-06-2025 को देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त जमील उर्फ मोकादम पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा शान्ति /सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 20-06-2025 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जीद्वारा जनपद की समस्त थानों की महिला आरक्षियों के साथ बीट पुलिसिंग व महिला संम्बन्धी अपराधो को रोकथाम हेतु पुलिस कार्यालय में गोष्ठी किया गया जिसमें सर्वप्रथम उपस्थित महिला आरक्षियों के बीट बुक को चेक किया गया तथा पायी गई कमियों को दूर करने हेतु निर्देशित किया गया । महिला अपराध के रोकथाम के विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार पुर्वक प्रकाश डालते हुये ब्रीफ किया गया ।साथ ही महिला आरक्षीयों को बीट पुलिसिंग के माध्यम से अपराध नियंत्रण एवं शान्ति व्यवस्था बनानें में बीट पुलिसिंग के महत्व को बताया गया । इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री सहित अन्य अधीकारी / कर्मचारी गण तथा काफी संख्या में महिला आरक्षी उपस्थित रही।